न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2025 एल.आर.एक्ट (GCMS No 2025/21)

1. महावीर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी गांव बालरासर आथुना तहसील व जिला चूरू।
2. भंवरलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी गांव बालरासर आथुना तहसील व जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः श्री द्वारकादास पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांकः 17.07.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू, अपील संख्या 64/2016 के निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जिला कलक्टर चूरू के अपील संख्या 64/2016 अनवान महावीर बनाम स्टेट के निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 15.03.2017 एवं तहसीलदार चूरू के प्रकरण संख्या 66/2016 निर्णय दिनांक 11.04.2016 को निरस्त कर प्रकरण को गुणा गुणो पर निस्तारण के लिए रिमाण्ड करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट के निमित नोटिस जारी किये गये, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहे।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि मातहत न्यायालय तहसीलदार चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2016 व उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 इंसाफ व खिलाफ कानून तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं विधि की प्रक्रिया की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनदेखी कर पारित कर हर दोनो निर्णय निरस्त काबिल है। पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट पर जारी तहसीलदार चूरू के नोटिस के तथ्यो को अपीलान्टगणो द्वारा अपने जबाब नोटिस के जरिये स्पष्टतः इन्कार किया तथा कथन किया कि उनके द्वारा गैरमुमकिन स्कूल की जगह पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही कर रखा है। तथा प्रमाणस्वरूप अपनी काबिज भूमि के पट्टे की प्रति पेश की। तहसीलदार चूरू द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट जो अपीलान्टगण के विरूद्व उनकी रिहायशी आबादी पट्टा भूमि के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत द्वेष व दुर्भावना के वशीभूत होकर पेश की गई के सम्बन्ध मे बिना साक्ष्य सबूत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को अतिक्रमी मानना विधि एवं प्रक्रिया की अहम भूल है तथा आबादी पट्टा भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार चूरू को अपीलान्टगण के विरूद्व कानूनन धारा 91 की कार्यवाही अमल मे लाये जाने का कोई अधिकार नही रहा है। कथित स्कूल के चारो और चारदीवारी पक्की निर्मित रही है, स्कूल की खुली भूमि छोडी भी नही है । अपीलान्टगण को विधि के प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्त के तहत सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना पारित निर्णय विधि की प्रक्रिया के विपरित होने से काबिल निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के हर दोनो निर्णय दिनांक 15.03.2017 एवं 11.04.2016 को निरस्त कर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत नही किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि प्रकट करता हो। अपीलान्ट ने अपील मीमो मे वही कथन किया जो अधीनस्थ न्यायालय में किया था। अपीलान्ट द्वारा उठाये कथनो को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना कर खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अतः

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर